भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ.राजेंद्र प्रसाद मार्ग,नई दिल्ली-110001
KRISHI BHAWAN, DR. RAJENDRA PRASAD MARG, NEW DELHI-110001

फा.सं.रा.भा. 11(1)/2018-हिंदी

दिनांक: 24 मार्च, 2021

सेवा में

भाकृअप के अधीनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों एवं अटारी के निदेशक

विषय : वित्तीय वर्ष 2021-2022 से केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम-काज राजभाषा हिन्दी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नए पाठ्यक्रम '**पारंगत**' के अधीन प्रस्तावित मानदेय (पुरस्कार) लागू करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कृपया राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 21 दिसंबर, 2020 के पत्र सं 21034/69/2008 का संदर्भ लें जो केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु राजभाषा विभाग के 'पारंगत' पाठ्यक्रम से संबंधित है। उक्त पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-2022 से पारंगत पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिकों को 'पारंगत' पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर एकमुश्त निर्दिष्ट प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। (पत्र संलग्न है)

2. भाकृअप के अधीनस्थ संस्थानों में उपर्युक्त प्रोत्साहन संबंधी वित्तीय व्यय का वहन भाकृअप के सभी संबंधित संस्थानों द्वारा ही किया जाएगा।

यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीया,

सीमा चोपड़ा
24.3.21

(सीमा चोपड़ा)
निदेशक (राजभाषा)

सं.21034/69/2008-रा.भा.(प्रशि.)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक- 21 दिसम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-2022 से केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अंग्रेजी माध्यम आधारित नए पाठ्यक्रम "पारंगत" के अधीन प्रस्तावित प्रोत्साहन (पुरस्कार) लागू करने के संबंध में ।

केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा "पारंगत" पाठ्यक्रम का संचालन आरंभ किया गया है । वित्तीय वर्ष 2021-22 से "पारंगत" पाठ्यक्रम को व्यापक व लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिकों को पारंगत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर निम्नलिखित एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) 55% से 59% अंक प्राप्त करने पर	4000/-रु
(ख) 60% से 69% अंक प्राप्त करने पर	7000/-रु
(ग) 70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर	10,000/-रु.

2. उपर्युक्त प्रोत्साहन संबंधी वित्तीय खर्च को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को ही वहन करना पड़ेगा ।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 17.12.2020 की अनौपचारिक टिप्पणी संख्या 14(2)/ई.समन्वय 2015 (1526920) के अनुसार जारी किया जा रहा है ।

(आनंद कुमार)
निदेशक (प्रशि.)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।

.....जारी

प्रतिलिपि :-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/ कार्यालय।
2. सभी संबद्ध कार्यालय।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डेस्क।
4. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
5. निदेशक(तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। कृपया इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
6. अवर सचिव (ई-चार), कार्यान्वयन अनुभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 17.12.2020 के अ.शा.टि.सं.14(2)/ई.समन्वय 2016 (1526920) के संदर्भ में।
7. अतिरिक्त 100 प्रतियां।